राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	710/2025	अमृता कसाना	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
2.	711/2025	हाकिम सिंह गुर्जर	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता, निजी प्रत्यर्थी की ओर से श्री उम्मेद सिंह तंवर एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 07.02.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण पटवारी के पद पर कार्यरत है। समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है इसलिए समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 710/2025 अमृता कसाना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा पटवार मण्डल शेयपुर तहसील सांगानेर में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल शेयपुर तहसील सांगानेर से पटवार मण्डल भांकरोटा तहसील माधोराजपुरा में किया गया है। अपीलार्थी का स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया गया है, जो कि उसे समंजित (Accommodate) किये जाने के लिये किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–4 पटवार मण्डल शेयपुर का स्थाई निवासी है जिसके कारण उन्हें पदस्थापित किया जाना पूर्णतया अनुचित एवं अवैध है। अपीलार्थी के पति बोबास रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की दो वर्ष की बेटी है। अतः परिवार

की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी को 2 वर्ष में स्थानान्तरण किया जाना पूर्णतया अनुचित एवं अवैध है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवार मण्डल शेयपुर तहसील सांगानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल भांकरोटा तहसील माधोराजपुरा में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल. सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

7. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील संख्या 710/2025 मे यह तथ्य अवगत कराया है कि श्री रमेश मीणा जिसका स्थानान्तरण पटवार मंडल श्योपुर में किया गया है, जबकि वह वहां का स्थाई निवासी है एवं नियमानुसार उसका वहां स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अतः कलक्टर जयपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि इस तथ्य का सत्यापन किया जाये। यदि श्री रमेश मीणा उसी हल्के का स्थाई निवासी है, जहां उसका नवीन स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है तो एक माह की अवधि में उसका अन्यत्र पदस्थापन किया जाना न्यायोचित होगा।

8. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 710/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य